

**भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कम मात्रा पाए जाने के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

**1432. श्री कपिल सिव्हल :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मार्च, 1997 में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों के अभिलेखों की वास्तविक जांच के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की कम मात्रा पायी गयी;

(ख) यदि हाँ, तो मार्च, 1997 के अंत तक इसके अभिलेखों में गेहूं, चावल, धान और खराब अनाज की कितनी-कितनी मात्रा दर्शाई गई थी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच के दौरान वास्तव में कितनी-कितनी मात्रा पायी गयी;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) :** (क) जी, हाँ।

(ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के रजिस्टरों के बुक बैलेंस तथा 31.3.1997 के समायोजित वास्तविक बैलेंस में 4.74 लाख टन का अंतर हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(आंकड़े टन में)

जिन्स	भारतीय खाद्य	नियंत्रक और अंतर	
महालेखा	महालेखा		
परीक्षक की			
रिपोर्ट के			
अनुसार	अनुसार		
समायोजित			
वास्तविक			
बैलेंस			
चावल	90.06	87.30	2.76
धान	6.91	6.40	0.51
गेहूं	17.29	16.68	0.61
क्षतिग्रस्त/	2.71	1.85	0.86
घटिया			
जोड़	116.97	112.23	4.74

(ग) और (घ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां देने के लिए भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया हैं, परंतु उनकी टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा रखे गए स्टाक का सत्यापन भी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना है। केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा रखे गए खाद्यान्नों का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सत्यापन करने के बाद खाद्यान्नों के स्टाक में कमियों के बारे सुस्पष्ट स्थिति सामने आएगी।

#### गेहूं और खाद्य तेल की मांग

**1433. श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 तक देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में गेहूं और खाद्य तेल की कुल कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) इसमें से कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ग) सरकार द्वारा देश में खाद्य तेल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) आयातित खाद्य तेल और गेहूं के तुलना में देश में उत्पादित खाद्य तेल और गेहूं के मूल्यों में क्या अंतर हैं?

**खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) :** (क) “कृषि जिन्सों की मांग और आपूर्ति के अनुमान और नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कृषि संस्थिकी में सुधार करने” संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में 6% की वृद्धि दर मानते हुए 2001-2002 में गेहूं की मांग 68.50 मिलियन टन और सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि दर मानते हुए 70.25 मिलियन टन मांग होने का अनुमान है। कार्यकारी दल द्वारा गेहूं की राज्यवार मांग का अनुमान नहीं लगाया गया है।

योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 1999-2000 के दौरान देश में खाद्य तेल की मांग 84.18 लाख टन होगी। खाद्य तेल की राज्यवार मांग की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के टर्मिनल वर्ष अर्थात् 2001-02 के लिए गेहूं आपूर्ति के प्रक्षेपण 75.50 मिलियन टन अनुमानित हैं।

खाद्य तेल उत्पादन की गणना तिलहन उत्पादन के आधार पर की जाती है।